

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(177/18)/2019/

दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता/अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. नियम-112 के तहत उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र0 स0	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश अवधि
1	श्रीमती पाना देवी	उपकेन्द्र, सिंगोडिया, खण्ड बायतू, जिला बाडमेर	1. दिनांक 25.05.2018 से 24.05.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 25.05.2020 से 21.09.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 22.09.2020 से 24.05.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	श्रीमती स्वाति लोदी	उप स्वास्थ्य केन्द्र, कानाखेडा, खण्ड मसूदा, जिला अजमेर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 23.05.2020 तक 41 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 24.05.2020 तक 12.04.2021 तक 324 दिवस का असाधारण अवकाश।
3	श्रीमती विजया चौहान	उप स्वास्थ्य केन्द्र, भरकला, खण्ड मसूदा, जिला अजमेर	1. दिनांक 13.04.2018 से 12.04.2020 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 13.04.2020 से 10.08.2020 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 11.08.2020 से 12.04.2021 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

82-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:-12/3/19

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(177/18)/2019/520

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर/अजमेर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बायतू (जिला बाडमेर)/मसूदा (जिला अजमेर)।
3. प्रधानाचार्य, श्री साई बाबा नर्सिंग स्कूल, झोटवाडा, जयपुर/रूप रजत स्कूल ऑफ नर्सिंग, ब्यावर (जिला अजमेर)।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर